न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/490

1. भूली बाई पत्नी स्व0 छोटूलाल जी उर्फ छोट्या जाति नायक निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्रीमती ममता बाई पुत्री स्व0 छोटूलाल जी उर्फ छोट्या जाति नायक निवासी ग्राम नयानोहरा जिला कोटा ।
3. मंजू बाई पुत्री स्व0 छोटूलाल जी उर्फ छोट्या जी जाति नायक निवासी ग्राम खडीपुर जिला कोटा – जरिये मुख्तार आम रणदीप सिंह पुत्र लखवीर सिंह निवासी झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. नाथी बाई पुत्री स्व0 छोटूलाल जी उर्फ छोट्या जाति नायक निवासी बून्दी जिला बून्दी जरिये मुख्तार आम मोहम्मद शफीफ पुत्र श्री रूस्तम आयु 40 साल जाति मुसलमान निवासी 14–बी लेक्यू कॉलोनी आकाशवाणी कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर पुत्र रघुनाथ जाति नायक (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. राधेश्याम पुत्र लटूर जाति नायक
   - 1/2. रामस्वरूप पुत्र लटूर जाति नायक ।
   - 1/3. जमना लाल पुत्र लटूर जाति नायक ।
   - 1/4. मुकुट बिहारी पुत्र लटूर जाति नायक निवासीगण ग्राम मानवपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हीरालाल पुत्र कान्हा जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 2/1. रामकन्या बेवा हीरालाल जाति मीणा ।
   - 2/2. धनराज पुत्र हीरा लाल जाति मीणा ।
   - 2/3. जानकी लाल पुत्र हीरा लाल जाति मीणा ।
   - 2/4. नरेश पुत्र हीरा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम मानपवुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. हेमराज पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा ।
4. छीतर लाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा ।
5. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा ।
6. कांति बाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा ।
7. भूरी बाई बेवा जगन्नाथ जाति मीणा निवीसगण मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
8. रामकिशन पुत्र श्री राम जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

8/1. भरोसी बाई पत्नी रामकिशन आयु 65 वर्ष जाति मीणा ।
8/2. राजाराम पुत्र रामकिशन आयु 32 वर्ष जाति मीणा ।
8/3. मुकेश पुत्र रामकिशन आयु 31 वर्ष जाति मीणा ।
8/4. सोहनी बाई पुत्री रामकिशन आयु 42 वर्ष जाति मीणा ।
8/5. गीरात बाई पुत्री रामकिशन आयु 42 वर्ष जाति मीणा ।
8/6. मनभर बाई पुत्री रामकिशन आयु 34 वर्ष जाति मीणा ।
8/7. सुशीला बाई पुत्री रामकिशन आयु 36 वर्ष जाति मीणा ।
8/8. ममता पुत्री रामकिशन आयु 29 वर्ष जाति मीणा ।
8/9. गायत्री पुत्री रामकिशन आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

9. मदन लाल पुत्र श्रीराम जी जाति मीणा ।
10. फूली बाई पुत्री श्रीराम जाति मीणा ।
11. गोरा बाई उर्फ उर्मिला बेवा सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. मधु पुत्री श्री सूरजमल जाति मीणा पत्नी गजराज मीणा निवासी स्कूल के पास राजनगर, कोटा ।
13. मदनलाल पुत्र रामकरण जी जाति मीणा निवासी काला रेवा तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

13/1. कुन्जबिहारी पुत्र स्व0 मदनलाल जी मीणा ।
13/2. राजेश पुत्री स्व0 मदनलाल जी मीणा ।
13/3. मनभर बाई पत्नी स्व0 मदनलाल जी मीणा निवासीगण काला रेवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

14. महकमा सिंचाई विभाग कोटा राज0 जरिये एरिया डपलपमेन्ट कमीश्नर सीएडी कोटा ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
16. बाबूलाल उर्फ बाबू उर्फ भीमा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

16/1. गीता बाई पत्नी स्व0 बाबूलाल उर्फ बाबू ।
16/2. मनोज पुत्र स्व0 बाबूलाल उर्फ बाबू ।
16/3. मुकेश पुत्र स्व0 बाबूलाल उर्फ बाबू ।
16/4. दीपक पुत्र स्0 बाबूलाल उर्फ बाबू निवासीगण सामुदायिक भवन के सामने नाकाचुंगी कुन्हाडी कोटा ।

17. अयोध्या बाई पुत्री स्व0 भीमा जी जाति नायक (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

17/1. राकेश पुत्र मोहन लाल ।
17/2. सुरेश पुत्र मोहन लाल ।
17/3. महेन्द्र पुत्र मोहन लाल ।
17/4. सोहन पुत्र मोहन लाल जाति नायक निवासीगण गर्ल्स स्कूल के पास पुराना रामदेव जी के मंदिर के पास कुन्हाडी, कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 183 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण क्रम 1 से 3 के पूर्व हक अधिकार एवं स्व0 श्री भीमा जी अप्रार्थी क्रम 01 लटूर प्रार्थीगण क्रम 04 से 7 के पूर्व हक अधिकारी श्री छोट्या एवं स्व0 श्री रामगोपाल के संयुक्त खाते में अन्य भूमियों के साथ ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 63 की 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित थी । इस भूमि के बीच में से राज्य सरकार द्वारा नहर का निर्माण करने के कारण 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी तथा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष रही थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 208 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.37 हैक्टर कुल 04 किता की 1.26 हैक्टर कायम किये गये । नहर निकलने के बाद साबिक खसरा नम्बर 63 में नहर के दक्षिण की तरफ 08 बीघा 03 बिस्वा एवं नहर के उत्तर की तरफ 02 बीघा 10 बिस्वा कुल 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष रही परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों ने नये नम्बर बनाकर 0.47 हैक्टर रकबा कम दर्ज कर दिया । वर्तमान सेटलमेंट अधिकारी द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बर 63 की नहर के उत्तर में स्थित समस्त 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण क्रम 02 लगायत 07 के खाते की वर्तमान खसरा नम्बर 93 की भूमि व सिंचाई विभाग के खाते दर्ज खसरा नम्बर 215 की भूमि में मिला दिया है जिसका सेटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है । उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम 02 से 07 ने मौके पर सोयाबीन बोकर कब्जा कर लिया जिसे वापस प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं । साबिक खसरा नम्बर 63 की कुछ भूमि खसरा नम्बर 212, 205, 206, 207 में मिला दी है । इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम 08 से 13 भी मौके पर कब्जा करने पर आमादा हैं । सेटलमेंट अधिकारियों को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थीगण की भूमि को अप्रार्थीगण क्रम 02 से 14 के नाम दर्ज करने व नक्शे में परिवर्तन करने का काई अधिकार नहीं था । अप्रार्थीगण उक्त अवैध इन्द्राज का फायदा उठाकर इस भूमि को विक्रय एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं ।

3. अतः अप्रार्थीगण क्रम 02 से 13 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण की वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखल उत्पन्न नहीं करें, अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में न लें तथा न ही विक्रय करें न ही किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 02 से 09 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 18.06.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी क्रम 03 लगायत 06 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि नहर निकलने के बाद साबिक खसरा नम्बर 63 में नहर के दक्षिण की तरफ 08 बीघा 03 बिस्वा एवं नहर के उत्तर की तरफ 02 बीघा 10 बिस्वा कुल 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष रही थी जिसके 1.73 हैक्टर होते हैं । सेटलमेंट अधिकारियों ने खसरा नम्बर 63 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर बनाकर 0.47 हैक्टर रकबा कम दर्ज कर दिया । साबिक खसरा नम्बर 63 की भूमि पर प्रार्थीगण अपीलान्ट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 संयुक्त रूप से काश्त कर रहे थे परन्तु गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम 02 से 05 ने कब्जा कर लिया । सेटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 63 की कुछ भूमि खसरा नम्बर 212, 205, 206 एवं 207 में मिला दी है जिसे अपीलान्ट पुनः अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अप्रार्थीगण इस भूमि पर आवासीय भूखण्ड काटकर उसको अकृषि कार्य में उपयोग कर निर्माण करना चाहते हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया है । अपीलान्ट के खाते में पूर्व में खसरा नम्बर 63 की 13 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 56 की 03 बीघा 18 बिस्वा कुल 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी । इसमें से खसरा नम्बर 63 की 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि नहर में जाने के पश्चात् खसरा नम्बर 63 की 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष रही । खसरा नम्बर 56 की 03 बीघा 18 बिस्वा कुल 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि शेष रही थी जो कि नामान्तरकरण संख्या 03 दिनाक 05.05.1966 से तस्दीक की गयी जिसके कुल 2.355 हैक्टर बनते हैं । पटवारी

हल्का ने गलत रूप से शेष रही भूमि 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से नहर में जाना वर्णित किया है और इसी को आधार मानकर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया कि नहर निकलने के बाद साबिक खसरा नम्बर 63 में नहर के दक्षिण की तरफ 08 बीघा 03 बिस्वा एवं नहर के उत्तर की तरफ 02 बीघा 10 बिस्वा कुल 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष रही थी जिसके 1.73 हैक्टर होते हैं । सेटलमेंट अधिकारियों ने 0.47 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है । साबिक खसरा नम्बर 63 की नहर के उत्तर में स्थित समस्त 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण क्रम 02 से 07 के खाते की वर्तमान खसरा नम्बर 93 की भूमि व सिंचाई विभाग के खाते दर्ज खसरा नम्बर 215 की भूमि में मिला दिया है जिसका सेटलमेंट को कोई अधिकार नहीं था । कुछ आराजी खसरा नम्बर 212, 205, 206 और 207 में मिला दी है । सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार अपीलान्ट के खाते की आराजी को रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । इस अवैध इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण आराजी को खुर्द–बुर्द करने एवं बेचान करने पर आमादा हैं और आवासीय भूखण्ड काटर उक्त भूमि को अकृषि उपयोग कर निर्माण करने पर आमादा हैं । कृषि भूमि अकृषि कार्य के उपयोग में नहीं ली जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 93 के रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक हैं और इस पर रेस्पोडेन्टगण का कब्जा है । इस आराजी में अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 63 का कोई रकबा शामिल नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा नये नक्शे एवं पुराने नक्शा ट्रेस की प्रतियॉ पेश की गई हैं जिसका मिलान करने पर यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 93 जो कि रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे काश्त की है में अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की आराजी को शामिल नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि पटवारी हल्का ने गलत रूप से अपीलान्टगण के खाते की आराजी का कुल रकबा खसरा नम्बर 63 की 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि एवं खसरा नम्बर 56 की 03 बीघा 18 बिस्वा कुल 14 बीघा 11 बिस्वा अंकित किया है । यह रकबा नहर में जाने के उपरान्त बचा शेष रकबा है । नहर में जो रकबा गया है उसे कम करने के उपरान्त शेष रकबा है । नहर खसरा नम्बर 63 के बीच में से निकली थी और खसरा नम्बर 63 का कुछ रकबा खसरा नम्बर 93, 215, 212, 205, 206 और 207 में शामिल कर दिया गया है । सेटलमेंट विभाग के द्वारा नक्शा व मिलान क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण बनाया गया है । मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 215 के साबिक खसरा नम्बर 36 मिन, 37 मिन व 38 मिन बताये गये हैं जकि नहर में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 63 का रकबा भी शामिल है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 450 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपील में एक मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की गई है और रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक के द्वारा साबिक एवं हाल खसरा नम्बरान का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई हैं जो शामिल मिसल की गई ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 78 की फोटो प्रति संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 117 की फोटो प्रति संलग्न है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2018 की फोटो प्रति संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 नया खाता संख्या 35 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 14 बीघा 11 बिस्वा आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति और नकल जमाबन्दी संवत् 2016–24 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 17 बीघा 15 बिस्वा आराजी भीमा, लटूर, छोट्या, रामगोपाल नाबालिग के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 नया खाता संख्या 110 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 4.35 हैक्टर आराजी हीरालाल एवं अन्य के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 93 की रकबा 3.10 हैक्टर आराजी शामिल है एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 नया खाता संख्या 64 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 207 की रकबा 0.22 हैक्टर आराजी मदनपाल पुत्र रामकरण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 नया खाता संख्या 82 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार कुल 05 किता की 1.84 हैक्टर भूमि रामबिशन, मदनलाल, सूरजमल पुत्र सरवणी बेवा व फूली पुत्री श्रीराम के खाते में दर्ज है ।

13. अपीलान्ट का यह कथन है कि उनके खाते में साबिक खसरा नम्बर 63 और 56 की कुल 17 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज थी जिसमें से नहर में 03 बीघ 04 बिस्वा आराजी जाने के उपरान्त उनके खाते में 02 किता की 14 बीघा 11 बिस्वा आराजी शेष रही इसके तथ्यों की ताईद नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016–24 और नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 से होती है । मिलान क्षेत्रफल की जो प्रमाणित प्रति पेश की गई है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 63 मिन के हाल खसरा नम्बर 208, 209, 211 एवं 210 कायम किये गये हैं । खसरा नम्बर 93 का साबिक खसरा नम्बर 49 मिन अंकित किया गया है । नक्शा ट्रेस की प्रतियॉ जो पेश की गई हैं उनका मिलान करने पर हाल खसरा नम्बर 93 का साबिक खसरा नम्बर 49 ही प्रमाणित होता है और नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 93 का साबिक खसरा नम्बर 49 मिन है । इस प्रकार नक्शे और मिलान क्षेत्रफल का मिलान करने पर प्रथमदृष्टया अपीलान्ट के खाते की साबिक खसरा नम्बर 63 की आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 93 में शामिल होना प्रमाणित नहीं होता है । जहॉ तक खसरा नम्बर 212, 205, 206 एवं 207 में अपीलान्ट के खाते की आराजी शामिल होने का प्रश्न है, मिलान क्षेत्रफल की प्रतियॉ जो पेश की गई हैं उसके अनुसार खसरा नम्बर 63 मिन के नये नम्बर 212, 205, 206 और 207 कायम किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है वरन् इसके अनुसार खसरा नम्बर 208, 209, 211 एवं 210 कायम किया जाना प्रमाणित हो रहा है । साबिक व हाल नक्शा ट्रेस को सुपर इम्पोज करने पर साबिक खसरा नम्बर 63 का कुछ रकबा हाल खसरा नम्बर 212, 205, 206 व 207 में शामिल होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है ।

14. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया गया है कि नहर का खसरा नम्बर 215 है उसके साबिक खसरा नम्बर 35 मिन, 36, 37 और 398 मिन अंकित किये गये हैं जबकि नहर में अपीलान्ट के खाते की खसरा नम्बर 63 का रकबा भी शामिल हुआ है । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें हाल खसरा नम्बर 93, 205, 206, 207, 212 और 215 के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है परन्तु पेश किये गये मिलान क्षेत्रफल में उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 93 में शामिल होना प्रमाणित नहीं होता है । नक्शा ट्रेस पुराने और नये का यदि मिलान किया जावे तो उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 63 का रकबा खसरा नम्बर 93 में शामिल होना प्रमाणित नहीं हो रहा है।

15. इस न्यायालय में प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण जिन्होंने कि कन्टेस्ट किया है वो मुख्य रूप से हाल खसरा नम्बर 93 के सम्बन्ध में ही अपने कथन कर रहे हैं और उनका यह कथन है कि हाल खसरा नम्बर 93 में साबिक खसरा नम्बर 63 का रकबा शामिल नहीं हुआ है । हाल खसरा नम्बर 215 नहर की है । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन है कि सेटलमेंट के द्वारा नक्शा बनाते समय एवं मिलान क्षेत्रफल तैयार करते समय त्रुटि की गई है । सेटलमेंट विभाग के द्वारा नक्शा एवं रिकॉर्ड तैयार करने में त्रुटि की है अथवा नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व भी मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया साबिक और हाल खसरा नम्बरान के नक्शों को सुपर इम्पोज करने पर यही प्रमाणित होता है कि हाल खसरा नम्बर 93 में साबिक खसरा नम्बर 63 का रकबा शामिल नहीं हुआ है । खसरा नम्बर 215 नहर का है । ऐसी स्थिति में हम हाल खसरा नम्बर 93 व 215 के बाबत् स्थगन आदेश दिया जाना उचित नहीं समझते हैं । साबिक व हाल खसरा नम्बरान के नक्शों को सुपर इम्पोज करने पर हाल खसरा नम्बर 212, 205, 206 व 207 में साबिक खसरा नम्बर 93 का कुछ भाग शामिल होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है । तद्नुसार हम अपीलान्ट आंशिक रूप से खसरा नम्बर 212, 205, 206 व 207 के लिए स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 निरस्त किया जाता है । रेस्पेडेन्टगण क्रम 8/1 लगायत 8/9, 09 10, 11, 12 एवं 13/1 से 13/3 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 212, 205, 206 एवं 207 वाके ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की किसी भी आराजी को रहन, बेचान एवं अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग में नहीं लें । हाल खसरा नम्बर 93 और 215 व इनके खातेदार रेस्पोडेन्ट क्रम 2/1 लगायत 2/4, 3 लगायत 7 व रेस्पोडेन्ट क्रम 14 इस स्थगन से प्रभावित नहीं होगें ।

17. निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा